



न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 अपील

अपील 1360-II-15

हेमंत जुनेजा पुत्र हरिवंशलाल जुनेजा
निवासी बजरिया मोहल्ला अशोकनगर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, अशोकनगर
2. नारायण प्रसाद पुत्र मिश्रीलाल सोनी निवासी चौधरी मुहल्ला अशोकनगर
3. पवन कुमार जैन पुत्र श्री एन.एल. जैन
4. श्रीमती नीलम पत्नी पवन कुमार जैन निवासगण प्रोसेसन रोड, अशोकनगर जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र.कं. 133/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.3.2015 के विरुद्ध भारतीय स्टॉप अधिनियम की धारा 47(क) (4) एवं सहपठित म.प्र. न्यूनतम मूल्य निवारण नियम 1995 के अंतर्गत अपील।

माननीय महोदय,


अपीलार्थी का निम्नानुसार निवेदन है कि -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1360-दो/15

जिला -अशोक नगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं । अतः प्रकरण आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	